न्यायालय जिला कलक्टर, करौली

पीठासीन अधिकारी श्री अंकित कुमार सिंह, आई.ए.एस.

इन्ट्रीगेटेड ग्लास मैटेरियल लिमिटेड 12 लोक विहार नई दिल्ली वर्तमान रजिस्टर्ड कार्यालय 38, ओखला इण्डस्ट्रीज एरिया फैस थर्ड नई दिल्ली जयि मुख्त्यार राहुल पुत्र नारायण सिंह आयु 32 साल जाति गुर्जर निवासी भिश्तीपुरा तहसील व जिला रूडकी राज्य उत्तराखंड – अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील करौली – प्रत्यर्थी

अपील व नाराजगी निर्णय दिनांक 17.12.2011 न्यायालय तहसीलदार करौली नामांतरकरण संख्या 387 दिनांक 17.12.2011 ग्राम खिरखिड़ा तहसील करौली के विरुद्ध तहत धारा 75 एल.आर. एक्ट

निर्णय दिनांक 05.05.2022

अपीलार्थीगण की ओर से यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत पेश की गई है। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलाण्ट कम्पनी इन्टीग्रेटेड ग्लास मैटेरियल द्वारा आराजी खसरा नं. 163 रकबा 1 बीघा 04 विस्वा व आराजी खसरा नं. 164 रकबा 1 बीघा 10 विस्वा हिस्सा 2 / 3 जरिये रजिस्टर्ड वयनामा खातेदार रामेश्वर पुत्र मीठालाला प्रजापत से क्रय किया है। अपीलाण्ट कम्पनी द्वारा मुख्त्यारखास डॉ. सूरजप्रसाद भट्ट पुत्र दुर्गादत्त भट्ट को खरीदशुदा भूमि के पंजीयन हेतु मुख्त्यारखास नियुक्त किया गया था। प्रत्यर्थी द्वारा नामांतरकरण दर्ज करते समय मुख्त्यारखास का नाम नामांतरकरण सं. 387 ग्राम खिरखिड़ा पटवार हल्का काशीपुरा तहसील करौली में दर्ज कर दिया जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील पेश की गई है।

अपील, अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये सम्मन नोटिस की गई।

प्रत्यर्थी द्वारा जवाब पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील अपीलार्थी द्वारा अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया है कि निर्णय दिनांक 17.12.2011 अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार करौली रेस्पोण्डेण्ट बाबत् नामांतरकरण सं. 387 ग्राम खिरखिड़ा तहसील करौली खिलाफे कानून, रूहेदार मिसल, पूर्णतया आरबिट्रेरी, परिवरिश रेस्पोण्डेण्ट, एकपक्षीय है और निरस्त किये जाने योग्य है। आराजी खसरा नं. 164 रकबा 1 बीघा 10 विस्वा ग्राम खिरखिड़ा पटवार हल्का काशीपुरा तहसील करौली में स्थित है। उक्त आराजी के 2 / 3 हिस्सा को खसरा नंबर 163 रकबा 1 बीघा 4 विस्वा सम्पूर्ण के साथ दिनांक 29.09.2011 को 6,40,000 रुपये में साबिक खातेदार रामेश्वर प्रजापत पुत्र स्व. मीठालाल जाति प्रजापत निवासी तीन बड़ मण्डरायल रोड़ करौली तहसील व जिला करौली से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद कर कब्जा प्राप्त किया है और मुताबिक विक्रय पत्र अपीलाण्ट के हक में खसरा नं. 163 सम्पूर्ण रकबा 1 बीघा 4 विस्वा एवं खसरा नंबर 164 रकबा 1 बीघा 10 विस्वा के खातेदारी इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में अपीलाण्ट के हक में हो चुके हैं। अपीलाण्ट उक्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है, काबिज है। सबूतन नकल जमाबंदी संवत् 2074 से 2077 अपील के साथ पेश की है। अपीलाण्ट ने आराजी खसरा नं. 164 रकबा 1 बीघा 10 विस्वा ग्राम खिरखिड़ा तहसील करौली के 1 / 3 हिस्सा को खातेदार श्याम पुत्र दुर्गा जाति जोगी निवासी खिरखिड़ा तहसील करौली से दिनांक 12.01.2015 को 2,30,000 रुपये में खरीद किया है। पटवारी हल्का द्वारा जैर अपील नामांतरकरण में मुख्त्यारखास डॉ. सूरजप्रसाद

भट्ट पुत्र दुर्गादत्त भट्ट ब्राह्मण निवासी बी–21 प्रगति विहार सहस्त्र धारा रोड, देहरादून राज्य उत्तराखण्ड का नाम गलत तौर पर दर्ज किया है। अपीलाण्ट कम्पनी ने मुख्त्यारखास को मात्र वयनामा पंजीयन कराने का नियुक्त किया गया था। भूमि अपीलाण्ट कम्पनी द्वारा खातेदार काश्तकार रामेश्वर प्रसाद से खरीद की गई थी। गिरदावर हल्का द्वारा भी इस बाबत् कोई जांच नामांतरकरण की नहीं की गई है और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरुद्ध रूप से यह नामांतरकरण स्वीकृत किया है। मुख्त्यारखास डॉ. सूरजप्रसाद भट्ट का नाम जैर अपील नामांतरकरण से हटाया जाना न्यायोचित व आवश्यक है। जैर अपील निर्णय की जानकारी अपीलाण्ट को दिनांक 15.09.2021 को कम्प्यूटर से जमाबंदी लेने पर नामांतरकरण संख्या 387 से मुख्त्यारखास का नाम दर्ज होने की जानकारी होने पर उसी दिन अपीलाण्ट द्वारा मुख्त्यारखास राहुल से नकल आवेदन नामांतरकरण कराकर दिनांक 23.09.2021 को नकल प्राप्त होने पर हुई है। इससे पूर्व अपीलाण्ट को जैर अपील नामांतरकरण की जानकारी व ज्ञान नहीं रहा है। नकल में लगे समय को एवं दिनांक 23. 10.2021 व 24.10.2021 का राजकीय अवकाश होने से अपील अपीलाण्ट जानकारी दिनांक 23.09.2021 से अन्दर मियाद प्रस्तुत की है। अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाने का कथन किया है।

तहसीलदार करौली ने पत्रांक एल.आर. / 2022 / 1343 दिनांक 12.03.22 से अवगत करवाया है कि नामांतरकरण संख्या 387 ग्राम खिरखिड़ा निर्णय दिनांक 17.02.2012 है जो नायब तहसीलदार द्वारा किया गया है। निर्णय नियमानुसार, विधि सम्मत है। अपीलाण्ट ने उक्त खसरा नं. 164 रकबा 1 बीघा 10 विस्वा श्याम पुत्र दुर्गा से खरीदा है। मुख्त्यारखास डॉ. सूरजप्रसाद भट्ट पुत्र दुर्गादत्त भट्ट का नाम विक्रय पत्र में लिखा हुआ है। मुख्त्यारखास का नाम हटाना उचित है। जांच में पाया गया कि डॉ. सूरजप्रसाद भट्ट, इन्टीग्रेटेड ग्लास मैटेरियल में काम नहीं करता है। कम्पनी द्वारा नया मुख्त्यारखास राहुल पुत्र नारायणसिंह जाति गुर्जर को बनाया गया है।

बहस उभय पक्षकारान व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन कर मनन किया गया। अपील में प्रथमतः प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम धारा 5 पर विचार किया गया। आर.आर.डी. 2002 पेज 37 में माननीय उच्च न्यायालय ने प्रतिपादित किया है कि–

> ''Limitation Act[1963 Section 5 & While considering the question of condonation of delay in filing of revision, appeal of reference by State Govt. the Court, Tribunal or Authority has to first consider merits of the matter and where there is good case on merits the rule is to condone result in public mischief on skilfull management of delay in the process of filing appeal etc. and public at large would be sufferer that makes a distinction and category of litigant state as compared to ordinary litigants."

तथा आर.बी.जे. (4) 1997 पेज 257, माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने प्रतिपादित किया है कि–

> ''Liberal view should be Taken in Condoning The Delay in Filing The Appeal."

इस प्रकार प्रकरण के गुणावगुण पर निर्णय किया जाना उचित पाते हैं। अतः अपील प्रस्तुतिकरण में हुई देरी के संदर्भ में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों व रिकॉर्ड से स्पष्ट है कि अपीलाण्ट कम्पनी इन्टीग्रेटेड ग्लास मैटेरियल द्वारा आराजी खसरा नं. 163 रकबा 1 बीघा 04 विस्वा व आराजी खसरा नं. 164 रकबा 1 बीघा 10 विस्वा हिस्सा 2 / 3 जरिये रजिस्टर्ड वयनामा खातेदार रामेश्वर पुत्र मीठालाला प्रजापत से क्रय किया है। अपीलाण्ट कम्पनी द्वारा मुख्त्यारखास डॉ. सूरजप्रसाद भट्ट पुत्र दुर्गादत्त भट्ट को खरीदशुदा भूमि के पंजीयन हेतु मुख्त्यारखास नियुक्त किया गया था। भूमि अपीलाण्ट कम्पनी द्वारा खरीद की गई है जिसके नामांतरकरण या जमाबंदी में मुख्त्यारखास का नाम दर्ज किया जाना उचित नहीं

है। प्रत्यर्थी ने भी मुख्त्यारखास का नाम हटाये जाने में अपनी सहमति दी है। अतः हम अपील अपीलाण्ट स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन नामांतरकरण संख्या 387 दिनांक 17.12.2011 ग्राम खिरखिड़ा पटवार हल्का काशीपुरा तहसील करौली ''जरिये मुख्त्यारखास, डा. सूरजप्रसाद भट्ट पुत्र दुर्गादत्त भट्ट जाति भट्ट ब्रा. नि. 21, प्रगति विहार सहस्त्र धारा रोड, देहरादून, राज्य उत्तराखण्ड'' की हद तक निरस्त किया जाता है। तहसीलदार करौली को आदेश दिये जाते हैं कि इस निर्णय का अंकन अपीलाधीन नामांतरकरण में किया जावे एवं तदनुसार संशोधन जमाबंदी में भी किया जावे। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहसीलदार करौली को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 05.05.2022 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अंकित कुमार सिंह)
जिला कलक्टर,
करौली